



राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़, (सीकर)
जिला - सीकर
राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण-पत्र



क्रमांक: RJ/2017/राजस्व विभाग/अन्य पिछड़ा वर्ग /25669416374
दिनांक: 01-04-2025
आवेदक / परिवार के मुखिया का जनआधार कार्ड संख्या 5122460059

यह प्रमाणित किया जाता है कि :

- 01 श्री भागवंद कुमावत पुत्र/पुत्री श्री मूला राम कुमावत, माता का नाम - श्रीमती रुक्मा देवी, राजस्थान राज्य के जिला सीकर पता- अहीरकवास, रामगढ़, दांतारामगढ़, सीकर कै/की निवासी हैं तथा ये और या इनका कुटुम्ब यहाँ स्थाई रूप से निवास करता है/करती है/करते हैं।
- 02 उक्त श्री भागवंद कुमावत राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.प.11(164) आर. एण्ड पी./एस.जे.ई.डी./09/47032 दिनांक 25.08.2009 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़े वर्गों की अधिसूचना व अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गों में से 41 KUMAWAT (41 कुमावत) वर्ग/जाति कै/की सदस्य हैं।
- 03 उक्त श्री भागवंद कुमावत आशुन हेतु उक्त वर्ग के क्रिमीलेयर संबंधी राज्य सरकार के कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना सं.प.7(8)कार्मिक/क-2/2008 दिनांक 25.08.2009 में उल्लेखित श्रेणियों के मापदण्ड के अनुसार क्रिमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) का/की नहीं है।

नोट :

- 1 : राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.एस 21(37) एस.जे.ई./कम्प्यू/डि.जी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग का मान्यता प्रदान की गयी है।
- 2 : उपरोक्त प्रमाण-पत्र कियोस्क द्वारा उपलब्ध करण नये ई-दस्तावेज के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेज की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकेगा।
- 3 : प्राप्ति द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बंधित दस्तावेजों जिले के सम्बंधित प्रदत्त अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।
- 4 : यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी कार्यों के लिये मान्य है।
- 5 : प्राप्ति को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.emitra.rajasthan.gov.in पर स्थित ONLINE VERIFICATION SECTION से Online सत्यापित किया जा सकता है। टोल फ्री संख्या - 250688364091

*राज्य के पिछड़े वर्ग के लिये राजस्थान सरकार के जयसिंह सेक्टर में विकसित और मर्यादापूर्ण की शैक्षणिक संस्थानों में सीटी में जलपान के प्रयोजनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़, (सीकर)

Signature valid

Digitally signed by
MONIKA SAMORE
Date: 2025.04.01 12:35:12

0799043
Reason: Approved
KUMAWAT, Rajasthan

